राजस्व अपील संख्या 104/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. प्रभूराम पुत्र भगवानराम के कायम मुकामः— 1/1 रामुराम पुत्र प्रभूराम 2. गोमती देवी पत्नी रामुराम जातियान जाट, निवासीगण बेरडों का बास, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।		1. गोमाराम पुत्र सुरजनराम 2. मोहनी देवी पत्नी गोमाराम 3. भोमाराम पुत्र सुरजनराम जाति विश्नोई, निवासीगण बेरडों का बास, तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 4. वीरा पत्नी धन्नाराम (विलोपित) 5. बीरमाराम पुत्र धन्नाराम 6. पाबूराम पुत्र धन्नाराम (विलोपित) 7. चुन्नाराम पुत्र धन्नाराम 8. राजूराम पुत्र पुत्र धन्नाराम 9. पनाराम पुत्र धन्नाराम 10. हमीराराम पुत्र गुमानाराम 11. कुम्भाराम पुत्र अलाराम जातियान जाट, निवासीगण बेरडों का बास, तहसील ओसियां जिला जोधपुर। 12. तहसीलदार, ओसियॉ जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.08.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी ओसिया पीठासीन अधिकारी श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस के द्वारा प्रकरण संख्या 282/16 गोमाराम बनाम प्रभूराम में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1— श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2— श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से।
3— श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 12 की ओर से।
4— रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 01 दिसम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैरडों का बास खसरा सं0 384 रकबा 304 बीघा 12 बिस्वा में से 87 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीदी हुई है जिसका जमाबन्दी में 384/1 रकबा 87 बीघा 10 बिस्वा का अंकन तो कर दिया गया लेकिन नक्शें में गलत तरमीम अंकित कर दी गई जिसको दुरूस्त किया जाकर तरमीम शुद्वी की जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस को सुने बिना ही दिनांक 20.12.2016 को आदेश कर दिया गया था। जिसके विरूद्व अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट सं0 4 से 11 की ओर से श्रीमान के न्यायालय में एक अपील पेश की। उक्त अपील दिनांक 30.11.2017 को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करने के आदेश पारित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किये गये। जिसके कम में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज किया गया एवं रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर मामले में सुनवाई कर दिनांक 26.08.2019 को आदेश पारित कर दिया गया जिसके विरूद्व अपीलान्ट के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दौरान सुनवाई यह कथन किया कि रेस्पो0 अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 18.8.22 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत रेस्पो0 संख्या 6 पाबूराम पुत्र धनाराम का अविवाहित देहान्त होने से उनका नाम विलोपित किये जाने एवं रेस्पो0 संख्या 4 वीरा के देहान्त उपरान्त उनके वारिस पहले से ही रेकर्ड पर होने से नाम विलोपित किये जाने को स्वीकार कर लिया जावे जिस पर कोई आपत्ति नहीं हैं। उक्त आधार पर रेस्पो0 संख्या 4 व 6 का नाम रेस्पोडेन्ट सूची से डिलीट किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दौरान सुनवाई यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे कानूनी एवं वाकियाती भूल की गयी है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का प्रस्तुत किया गया था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तरमीम निरस्त करने का जो आदेश पारित किया गया है जबकि तरमीम निरस्त करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा गलत तरमीम करवाकर रेस्पो0/प्रार्थी के कब्जे की भूमि को हडपना चाहता है जबकि तरमीम निरस्त कर नयी तरमीम करवाने का कोई आधार एवं दस्तावेज रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था। रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलान्ट की ओर से पेश कर निवेदन किया गया था कि उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है लेकिन उसके उपरान्त भी उस पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया और उक्त अपीलाधीन आदेश के आधार पर रेस्पो0 के द्वारा अपीलान्ट अकेले की कब्जे की भूमि पर गलत तरमीम करवाकर अपीलान्ट को कब्जे से बेदखल करना चाहते है। इस आधार पर अपीलाधीन निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश देने में भूल कारित की है जबकि तरमीम कब्जे के आधार पर की जाती है। राजस्व रेकर्ड व कब्जे में भिन्नता होने के कारण तरमीम नहीं की जा सकती। इस कानूनी बिन्दू पर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट मजदूरी करने के लिये अगस्त 2019 में राजस्थान राज्य से बाहर चला गया था। राजस्थान से बाहर रहने पर मार्च, 2020 में कोविड महामारी के तहत लोकडाउन लग जाने से अपने गांव नहीं आ पाया। इस वर्ष जुलाई 20 में वापस गांव आया व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब मालूम पडा कि प्रकरण में दिनांक 26.08.2019 को फेसला

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हो गया जिसकी नकल दिनांक 11.8.2020 मिलने पर आदेश की जानकारी हुई। अतः उक्त दिनांक से आदेश की जानकारी होने से यह अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही हे जो अन्दर म्याद शुमार करते हुए अपील स्वीकार की जावे तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम बैरडों का बास खसरा सं0 384 रकबा 304 बीघा 12 बिस्वा में से वर्ष 1962 में विक्रेता प्रभूराम पुत्र भगवानाराम व रूपाराम पुत्र चैनाराम से रकबा 87 बीघा 10 बिस्वा भूमि का क्रय की थी। जिस पर मूल ख0सं0 384 प्रभूराम के खाते में तथा अन्य ख0सं0 384/2 ख0सं0 384/3 व 4 ख0सं0 384/5 तथा 384/6 उत्तराधिकार व विक्रय के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों के खाते में दर्ज हुए।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा क्रय की गई ख0सं0 384/1 रकबा 87 बीघा 10 बिस्वा का अंकन तो सही कर दिया गया लेकिन पटवारी हल्का के द्वारा भूल या सहवन से नक्शें में दर्ज गलत आधार पर तरमीम अंकित कर दी गई। रेस्पो0 की क्रयशुदा रकबा 87 बीघा 10 बीघा की जगह गलत आधार पर तरमीम कर क्रयशुदा भूमि को नक्शें में कम दर्शा दिया गया जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त खरीद से लेकर निरन्तर चला आ रहा है। अपीलान्ट के द्वारा गलत तरमीम के आधार पर कम जमीन का हवाला देकर कब्जा करने की धमकी दी। तब उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाकर तरमीम शुद्वी की जाने हेतु निवेदन किया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2016 को पारित करते हुए ख0सं0 384/1 व ख0सं0 384 की तरमीम खातेदारी (जमाबन्दी) अनुसार दुरूस्त की जाकर उसी अनुसार मौके पर माप किया जाकर खातेदारान को भूमि सुपुर्द की जाने का आदेश पारित किया गया था।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वर्तमान अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट सं0 4 से 11 की ओर से न्यायालय हाजा में एक अपील संख्या पेश की। उक्त अपील दिनांक 30.11.2017 को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये। जिसके क्रम में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज किया गया एवं रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर मामले में पक्षकारान की सुनवाई करते हुए दिनांक 26.08.2019 को प्रार्थीगण गोमाराम, मोहनीदेवी व भोमाराम के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की भूमि ख0सं0 384/1 रकबा 87 बीघा 10 बिस्वा बाबत पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार ओसियॉ को प्रार्थीगण की भूमि की राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही सुनिश्चित की जाकर तरमीम की जावे साथ ही यदि मौके पर स्थाई रूप से कोई निर्माण इत्यादि किया हुआ तो रिपोर्ट करें। मौके से बेदखल नहीं करें बाबत अपीलाधीन आदेश

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल उचित पारित किया जो बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध लगभग 01 वर्ष पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसके विलम्ब को शमन किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अपीलाधीन प्रकरण में तरमीम दुरूस्ती करवाने जाने हेतु सहवन से धारा का अंकन गलत लिखे जाने से निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा न्याय की दृष्टि से रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार उक्त नक्शे ट्रेस में तरमीम की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये है जो कि उचित प्रतीत होते है। अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 को बहाल रखा जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु दर्शाये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 30.11.2017 को आदेश पारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.12.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनः विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर दिनांक 26.08.2019 को निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार, ओसियॉ के द्वारा गोमाराम बनाम प्रभूराम वगैराह के प्रकरण में दिनांक 14.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार "प्रार्थीगण के नाम ग्राम बेरडो का बास में ख0सं0 384/1 रकबा 87.10 बीघा की खातेदारी भूमि दर्ज है। ख0सं0 384 का मूल रकबा 304.12 बीघा भूमि बेचान होने से नक्शा ट्रैस में ख0सं0 384/1 रकबा 87.10 बीघा भूमि की तरमीम की जानी चाहिये थी परन्तु नक्शा लटठा ट्रेस में तरमीम करते समय 80.00 बीघा भूमि की तरमीम की गई थी। जबकि प्रार्थीगण के नाम 87.10 बीघा भूमि दर्ज है। 7.10 बीघा भूमि की तरमीम कम की गई थी। जबकि मूल खातेदार के ख0सं0 384 में मौके व नक्शा लटठा ट्रेस में रकबा वृद्धि हो रही है जबकि प्रार्थीगण के मौके व नक्शे अनुसार जमीन कम है। अतः ख0सं0 384 व 384/1 की पूर्व में की गई तरमीम नक्शा ट्रैस को दुरूस्त करना उचित है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेकर्ड अनुसार नक्शे में संशोधन व दुरूस्ती हेतु जारी अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुजांइश नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर